



प्रेषक,

संतोष कुमार यादव

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उद्योग निदेशालय,

कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ:दिनांक- 28 मार्च, 2018

विषय: अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत वितरित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पत्र संख्या-324/ वि०नि०/ वि.यो.वि./ मुख्यालय / 2017-18 दिनांक 27-02-2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि ₹0 806.30 करोड़ (₹0 आठ सौ छ करोड़ तीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 हेतु धनराशि ₹0 8,19,000.00 (रूपये आठ लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
- (2) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या: 1385/ 77-6-12-08(एम)/ 12 टी.सी.। दिनांक 30-11-2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।
- (3) यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन उ०प्र० वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
- (4) उक्त योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अवस्थापना सुविधा के सृजन हेतु लिए गए ऋण पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।
- (5) स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- (7) उक्त धनराशि को आहरित करके 30प्र0 वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (8) उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।
- 2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई-6-253(iii)/ दस-2018 दिनांक 28-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष कुमार यादव)
सचिव।

संख्या:1398(1)/ 77-6-18-4(बजट)/ 17तद्विनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम/ द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 3- 30प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर को उनके पत्र संख्या संख्या-324/ वि0नि0/ वि.यो. वि./ मुख्यालय / 2017-18 दिनांक 27-02-2018 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 4
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 7- नियोजन अनुभाग-1/ 4
- 8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार यादव)
सचिव।